



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3819/2026

श्रीमती कंचन देवी

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: उमेश त्रिपाठी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याची ने प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार मिर्जापुर चौहारी, तहसील सोरांव, जनपद प्रयागराज को वाद संख्या 1965/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202402030301965) (श्रीमती कंचन देवी बनाम राम सिंह) का शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दायर एक आवेदन काफी समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को नोट करना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार सख्ती से समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7), "(7). तहसीलदार नामान्तरण के अविवादित मामले को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो इसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"
5. उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार मिर्जापुर चौहारी, तहसील सोरांव, जनपद प्रयागराज को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन पर विचार करें और कानून के अनुसार सख्ती से

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इसके गुण-दोष के आधार पर, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निस्तारित करें, लेकिन बिना किसी कानूनी बाधा के अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने परस्पर विरोधी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

सकलन।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"